न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लाडनूं

डीडवाना–कुचामन न्यायक्षेत्र, राजस्थान।

पीठासीन अधिकारी	:-	**दीपेंद्र कुमार मीणा, आर.जे.एस.**
सीआईएस नंबर	:-	**06/2017**
नि.आपराधिक प्रकरण सं.	:-	**422/2016**
एफ. आई. आर. संख्या	:-	**110/2016 पुलिस थाना लाडनूं**
सीएनआर संख्या	:-	**RJDK100000192017**

राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी .....**अभियोगी**

ब ना म

नारायणराम पुत्र बक्साराम निवासी बल्दु पीएस लाडनूं जिला नागौर। .....**अभियुक्त**

अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम

उपस्थितः–

01– श्री विकास ठोलिया, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।

02– विद्वान अभियोजन अधिकारी, वास्ते राज्य।

:: निर्णय :: **दिनांकः 16.07.2026**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 12/4/016 को श्री रामनिवास सउनि० ने हाजिर थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि आज दिनांक 12.4.16 समय 7 pm पर थाना से गस्त व लॉकल एवं स्पेशल एक्ट की कार्यवाहीं हेतु थाना से रवाना होकर समय 7.30pm पर मन ASI रामनिवास मय जाप्ता श्री चरणसिंह 193 मूलाराम FC 2025 मय सरकारी गाडी व चालक के निम्बी जोधा पहुंचा वहां से कानि. रामकुवांर न. 1229 को हमारा लिया गया। वक्त 7.35 pm पर जरिये मुखबीर सुचना मिली कि निम्बी से रताऊ जाने वाली सडक पर राज लक्ष्मी हॉटल के पास एक अधेड उम्र का आदमी शराब बेच रहा है। मुखबीर की ईतला विश्वशनीय होने से मन ASI मय जाप्ता के

कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। समय 7.50 pm पर हॉटल राज लक्ष्मी से करीब 20 मीटर दूर सडक के पूर्व दिशा में मुखबीर के बताये हुलिया का शक्स एक कार्टून खाकी रंग का लिये बैठा मिला। शख्स पुलिस की गाडी देखकर भागने लगा जिसको जाप्ता की मदद से पकडा। शख्स का नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम नारायणराम s/o बक्साराम उम्र 50 वर्ष निवासी बल्दु पीएस लाडनूं जिला नागौर होना बताया। शख्स के पास मिले खाकी रंग के कार्टून को चैक किया तो उसमें बुलट बीयर की 9 बोतल मिली। तथा पास ही गढे में चार पांच कार्टून जिनमें अलग अलग ब्राण्ड की शराब व बियर मिली। शख्स को इस प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग पर शराब बेचने परिवहन करने व रखने का लाईसेंस व परमिट मांगा तो अपने पास किसी प्रकार का लाईसेंस व परमिट नहीं होना बताया। इस प्रकार शख्स नारायण राम द्वारा बिना लाईसेंस व परमिट के सार्वजनिक स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग पर शराब रखने परिवहन करने व बेचने का कृत्य जुर्म धारा 19/54 आबकारी अधिनियम की तारीफ में आना पाया जाता है। स्वतन्त्र मौतबीर तलबी हेतु राम कुवांर कानि. को भेजा तो कानि, ने बताया कि यहां पर समय रात्री का होने से मौतबीर मिलना मुश्किल है जिस पर जाप्ता में से चरणसिंह कानि. 193 व रामकुवांर कानि. 1229 को मौतबीर मामुर कर शख्स के पास मिली शराब को अलग–अलग कर ब्राण्ड वाइज गिना गया तो टूबर्ग बीयर की 10 बोतल हावर्ड 5000 बियर की 12 बोतल बुंलट बियर की 9 बोतल व किंग फिशर बियर की सात बोतल ढोला मारू शराब के 23 पव्वे मैक्डोल न. 1 विस्की के 4 पव्वे आफिसर चोईस के 5 पव्वे मौजिक मुवमेंट के 5 पव्वे मिले टूबोर्ग बियर की बोतल पर अग्रेजी में TUBORG GENUINE QUALITY ENJOYED SINGH 1880 STRONG लिखा है। FOR SALE IN RAJESTHAN लिखा है। इस ब्राण्ड की कुल 10 बोतल में से 1 बोतल बतौर नमूना सैम्पल ली जाकर शिल्ड मोहर कर मार्क A अंकित किया गया। शेष 9 बोतल को उसी कार्टून में डालकर चिट चैपा कर मार्क A–1 अंकित किया गया। हावर्ड 5000 की बोतल पर THE ORIGINAL HAYAWARDS 5000 SUPER STRONG BEER लिखा है। नीचे 650 ML लिखा है। बियर केवल राजस्थान में विक्रय होने का लिखा है। मुक्त ब्राण्ड की 12 बोतल में से एक बोतल बतौर नमूना सैम्पल ली जाकर शिल्ड मोहर कर मार्क B अंकित किया गया। शेष 11 बोतल उसी कार्टून में डालकर चिट चैपा कर मार्क B–1 अंकित किया गया। बुलट की बोतलों पर BULLET SUPER STRONG BEER 650 MI लिखा है। केवल सेवामें, श्रीमान थानाधिकारी सहाब पुलिस थाना लाडनूं विषयः मुकदमा दर्ज करने बाबत महोदयजी हितेदन है कि आज दिनाकं 12.4.16 समय 7 pm पर थाना से गस्त व लॉकल एवं स्पेशल एक्ट की कार्यबाही हेतु थाना से रवाना होकर समय 7.30pm पर नन ASI रामनिवास मय जाप्ता श्री चरणसिंह 193 मूलाराम FC2025 मय सरकारी गाडी व चालक के निम्बी

जोधा पहुंचा वहां से कानि. रामकुवांर न. 1229 को हमारा लिया गया। वक्त 7.35 pm पर जरिये मुखबीर सुचना मिली कि निम्बी से रताऊ जाने वाली सडक पर राज लक्ष्मी हॉटल के पास एक अधेड़ उम्र का आदमी शराब बेच रहा है। मुखबीर की ईतला विश्वशनीय होने से मन ASI मय जाप्ता के कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। समय 7.50 pm पर हॉटल राज लक्ष्मी से करीब 20 मीटर दूर सडक के पूर्व दिशा में मुखबीर के बताये हुलिया का शक्स एक कार्टून खाकी रंग का लिये बैठा मिला। शख्स पुलिस की गाडी देखकर भागने लगा जिसको जाप्ता की मदद से पकडा। शख्स का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम नारायणराम s/o बक्साराम उम्र 50 वर्ष निवासी बल्दु पीएस लाडनूं जिला नागौर होना बताया। शख्स के पास मिले खाकी रंग के कार्टून को चैक किया तो उसमें बुलट बियर की 9 बोतल मिली तथा पास ही गढे में चार पांच कार्टून जिनमें अलग अलग ब्राण्ड की शराब व बियर मिली। शख्स को इस प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग पर शराब बेचने परिवहन करने व रखने का लाईसेंस व परमिट मांगा तो अपने पास किसी प्रकार का लाईसेंस व परमिट नहीं होना बताया। इस प्रकार शख्स पुलिस की गाडी देखकर भागने लगा जिसको जाप्ता की मदद से पकडा। शख्स का नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम नारायणराम s/o बक्साराम उम्र 50 वर्ष निवासी बल्दु ps लाडनूं जिला नागौर होना बताया। शख्स के पास मिले खाकी रंग के कार्टून को चैक किया तो उसमें बुलट बियर की 9 बोतल मिली। तथा पास ही गढे में चार पांच कार्टून जिनमें अलग अलग ब्राण्ड की शराब व बियर मिली। शख्स को इस प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग पर शराब बेचने परिवहन करने व रखने का लाईसेंस व परमिट मांगा तो अपने पास किसी प्रकार का लाईसेंस व परमिट नहीं होना बताया। इस प्रकार शख्स नारायण राम द्वारा बिना लाईसेंस व परमिट के सार्वजनिक स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग पर शराब रखने परिवहन करने व बेचने का कृत्य जुर्म धारा 19/54 राज० आबकारी अधिनियम की तारीफ में आना पाया जाता है.....इत्यादि।

उक्त रिपोर्ट पर थानाधिकारी, पुलिस थाना लाडनूं द्वारा प्रकरण अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 आबकारी अधिनियम में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त के विरुद्ध धारा 19/54 आबकारी अधिनियम में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 आबकारी अधिनियम में न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 आबकारी अधिनियम का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त द्वारा आरोप से इन्कार किया गया और अन्वीक्षा चाही गई।

दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहान को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजात को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

:अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची:–

क. अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पीडब्ल्यू–1	प्रमोद	औपचारिक गवाह
पीडब्ल्यू–2	रामस्वरूप	औपचारिक गवाह
पीडब्ल्यू–3	रामकुंवार	बरामदगी, जब्ती एवं गिरफ्तारी
पीडब्ल्यू–4	रामनिवास मीणा	जब्तीकर्ता एवं परिवादी
पीडब्ल्यू–5	चरणसिंह मीना	बरामदगी, जब्ती एवं प्रत्यक्षदर्शी
पीडब्ल्यू–6	सांवरमल	अनुसंधान अधिकारी
पीडब्ल्यू–7	अजीज अहमद	एफएसएल औपचारिक गवाह

–:अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची:–

ख. अभियोजन

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1	नक्शामौका	प्रदर्श पी–1
2	मालखाना रजि. की प्रति	प्रदर्श पी–2
3	चिट चेपा मार्क बी 1	प्रदर्श पी–3
4	चिट चेपा मार्क डी 1	प्रदर्श पी–4
5	चिट चेपा मार्क सी 1	प्रदर्श पी–5
6	चिट चेपा मार्क ए 1	प्रदर्श पी–6
7	चिट चेपा मार्क आई	प्रदर्श पी–7

8	फर्द जब्ती बीयर की बोतल	प्रदर्श पी–8
9	फर्द गिरफ़्तारी अभियुक्त	प्रदर्श पी–9
10	तहरीरी रिपोर्ट व एफएसएल मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र	प्रदर्श पी–10
11	चाक एफआईअर व अग्रेषण पत्र	प्रदर्श पी–11
12	प्राप्ति रसीद	प्रदर्श पी–12
13	एफएसएल रिपोर्ट	प्रदर्श पी–13

अभियुक्त को धारा 313 द.प्र.सं. के प्रावधानों के तहत परीक्षित किया गया। इस परीक्षण में अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना, स्वयं को झूंठा फंसाया जाना अभिव्यक्त किया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा, जिसपर साक्ष्य सफाई का अवसर समाप्त किया गया।

बहस अंतिम सुनी गयी व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक द्वारा दौराने बहस तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु यह है कि–

(i) दिनांक 12.04.2016 को वक्त 08.00 पी.एम. पर मौजा निम्बीजोधा में होटल राज लक्ष्मी से करीब 20 मीटर दूर सडक पर आपने खाकी रंग के कार्टून में टूबर्ग बीयर की 10 बोतल, हावर्ड–5000 बीयर की 12 बोतल, बुलट बीयर की 9 बोतल, किंग फिशर बीयर की 7 बोतल, ढोला मारू शराब के 23 पव्वे, मैकडोवल नं.1 विस्की शराब के 4 पव्वे, ऑफिसर च्वाईस विस्की के 5 पव्वे, मैजिक मोमेंटके 5 पव्वे बिना वैध लाइसेंस व परमिट के अपने चैतन्य कब्जे में रखे?

(ii) यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड का हकदार है?

उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया गया।

अभियोजन पर यह भार है कि वह यह संदेह से परे सिद्ध करे कि दिनांक 12.04.2016 को अभियुक्त नारायणराम के कब्जे से मौजा निम्बीजोधा स्थित राजलक्ष्मी होटल के समीप बिना किसी वैध अनुज्ञापत्र अथवा परमिट के विभिन्न ब्राण्ड की बीयर एवं देशी/विदेशी मदिरा बरामद हुई, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। अभियोजन द्वारा अपने प्रकरण के समर्थन में कुल 07 गवाहों का परीक्षण कराया गया तथा जब्ती फर्द, गिरफ्तारी फर्द, नक्शामौका, मालखाना संबंधी अभिलेख, एफ.एस.एल. रिपोर्ट सहित अन्य दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए। पी.डब्ल्यू.–3 रामकुंवार, पी.डब्ल्यू.–4 रामनिवास मीणा एवं पी.डब्ल्यू.–5 चरणसिंह बरामदगी एवं जब्ती कार्यवाही के प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं। इन गवाहों ने अपने मुख्य परीक्षण में एकरूप एवं स्पष्ट रूप से कथन किया है कि मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को रोककर उसके कब्जे से विभिन्न ब्राण्ड की बीयर एवं मदिरा बरामद की गई, जिनका नमूना लेकर विधिवत सीलबंद किया गया तथा जब्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही मौके पर ही संपन्न की गई। इन गवाहों के कथनों का महत्वपूर्ण भाग प्रतिपरीक्षण के दौरान अप्रभावित रहा है तथा ऐसा कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास अथवा सुधार परिलक्षित नहीं होता जिससे बरामदगी की मूल घटना संदिग्ध प्रतीत हो। पी.डब्ल्यू.–1 प्रमोद, पी.डब्ल्यू.–2 रामस्वरूप, पी.डब्ल्यू.–6 सांवरमल एवं पी.डब्ल्यू.–7 अजीज अहमद ने अनुसंधान, मालखाना एवं एफ.एस.एल. संबंधी कार्यवाही का समर्थन किया है। इनकी साक्ष्य से अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्य का पर्याप्त समर्थन प्राप्त होता है। अब यह परीक्षण किया जाना अपेक्षित है कि क्या अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को संदेह से परे सिद्ध करने हेतु पर्याप्त एवं विश्वसनीय हैं। अभियोजन साक्ष्य का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि बरामदगी कार्यवाही में सम्मिलित पी.डब्ल्यू.–3 रामकुंवार, पी.डब्ल्यू.–4 रामनिवास मीणा एवं पी.डब्ल्यू.–5 चरणसिंह ने अभियोजन की कहानी का महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक–दूसरे का समर्थन किया है। इन गवाहों ने अभियुक्त के कब्जे से विभिन्न ब्राण्ड की बीयर एवं मदिरा की बरामदगी, नमूने लेने, उन्हें सीलबंद करने तथा जब्ती एवं गिरफ्तारी की सम्पूर्ण कार्यवाही के संबंध में एकरूप एवं सुसंगत कथन किए हैं। प्रतिपरीक्षण के दौरान भी उनके कथनों का मूल स्वरूप अप्रभावित रहा है तथा ऐसा कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास अथवा तथ्य सामने नहीं आया है जिससे अभियोजन की मूल कहानी अविश्वसनीय प्रतीत हो। प्रतिपरीक्षण में यह तथ्य अवश्य सामने आया है कि बरामदगी सार्वजनिक स्थान से की गई तथा कार्यवाही में किसी स्वतंत्र व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया गया। किन्तु मात्र इस आधार पर अभियोजन की सम्पूर्ण साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यह विधि का स्थापित सिद्धान्त है

कि यदि पुलिस अधिकारियों की साक्ष्य स्वाभाविक, विश्वसनीय एवं परस्पर संगत हो तो केवल स्वतंत्र गवाहों के अभाव में उसे अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन गवाहों के कथनों में बरामदगी की मूल घटना के संबंध में कोई ऐसा महत्वपूर्ण विरोधाभास परिलक्षित नहीं होता जिससे उनकी विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। जहाँ तक जब्ती फर्द अथवा अन्य दस्तावेजों में परिलक्षित काट–छाँट अथवा लघु त्रुटियों का प्रश्न है, न्यायालय का मत है कि ऐसी त्रुटियाँ तभी अभियोजन के लिए घातक मानी जा सकती हैं जब उनसे अभियोजन की मूल कहानी अथवा बरामदगी की सत्यता पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता हो। हस्तगत प्रकरण में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर ऐसी कोई परिस्थिति परिलक्षित नहीं होती जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि उक्त त्रुटियों के कारण सम्पूर्ण बरामदगी कार्यवाही अविश्वसनीय हो गई हो। अतः इन त्रुटियों को मात्र अन्वेषण संबंधी सामान्य त्रुटियाँ माना जाना उचित होगा, जिनका अभियोजन के मूल प्रकरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। उपरोक्त समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र मूल्यांकन करने पर यह न्यायालय पाता है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य परस्पर संगत, स्वाभाविक एवं विश्वसनीय हैं। पी.डब्ल्यू.–3, पी.डब्ल्यू.–4 एवं पी.डब्ल्यू.–5 द्वारा बरामदगी एवं जब्ती की घटना के संबंध में किए गए कथनों का पर्याप्त समर्थन अनुसंधान अधिकारी तथा अन्य औपचारिक गवाहों द्वारा किया गया है। जब्ती फर्द, गिरफ्तारी फर्द, नमूना सील एवं अन्य दस्तावेज भी अभियोजन की मौखिक साक्ष्य का समर्थन करते हैं। अभिलेख पर उपलब्ध एफ.एस.एल. रिपोर्ट से भी यह सिद्ध होता है कि जब्त किए गए नमूने मादक पेय पदार्थ थे। अभियोजन द्वारा नमूने लेने, उन्हें सीलबंद करने तथा परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजने की प्रक्रिया के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। एफ.एस.एल. रिपोर्ट अभियोजन की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को पुष्ट करती है। प्रतिपरीक्षण के दौरान अभियोजन गवाहों के कथनों में जो लघु विसंगतियाँ अथवा सामान्य विरोधाभास परिलक्षित हुए हैं, वे समय के अंतराल एवं मानवीय स्मरण शक्ति के स्वाभाविक परिणाम हैं। ऐसे विरोधाभास अभियोजन की मूल कहानी अथवा बरामदगी की सत्यता को प्रभावित करने वाले नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी समय–समय पर यह प्रतिपादित किया गया है कि प्रत्येक लघु विसंगति अथवा अन्वेषण की सामान्य त्रुटि अभियोजन के सम्पूर्ण प्रकरण को अस्वीकार करने का आधार नहीं बन सकती, यदि समग्र साक्ष्य से अभियोजन का मामला विश्वसनीय सिद्ध होता हो। अतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि दिनांक 12.04.2016 को वक्त 08.00 पी.एम. पर मौजा निम्बीजोधा में होटल राज लक्ष्मी से करीब 20 मीटर दूर सडक पर आपने खाकी रंग के कार्टून में टूबर्ग बीयर की 10

बोतल, हावर्ड–5000 बीयर की 12 बोतल, बुलट बीयर की 9 बोतल, किंग फिशर बीयर की 7 बोतल, ढोला मारू शराब के 23 पव्वे, मैकडोवल नं.1 विस्की शराब के 4 पव्वे, ऑफिसर च्वाईस विस्की के 5 पव्वे, मैजिक मोमेंटके 5 पव्वे बिना वैध लाइसेंस व परमिट के अपने चैतन्य कब्जे में रखे। अतः अभियुक्त को उक्त आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत दोषसिद्ध किया जाता है।

आदेश

परिणामस्वरूप **अभियुक्त नारायणराम पुत्र बक्साराम निवासी बल्दु पीएस लाडनूं जिला नागौर(राज०)** को आरोपित अपराध धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

सजा के प्रश्न पर

इस संबंध में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा कथन दिए गए हैं कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है तथा वह गरीब व्यक्ति है। अतः उसे परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिए जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन अधिकारी ने इस पर विरोध जाहिर करते हुए कठोर दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

बहस के तर्कों पर विचार किया गया। पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया गया। चूंकि अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धी या पूर्व में कोई प्रकरण दर्ज होने के संबंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। जिस संबंध में अभियुक्त ने शपथ पत्र भी पेश किया है। अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति व अभियुक्त के आचरण को दृष्टिगत रखते हुए उसे तुरंत कारावास से दण्डित नहीं करते हुए परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

अतः **अभियुक्त नारायणराम पुत्र बक्साराम निवासी बल्दु पीएस लाडनूं जिला नागौर(राज०)** को धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध कर सीधे ही कारावास के दण्ड से दण्डित नहीं किया जाकर धारा 4 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त 1 वर्ष की अवधि हेतु 10,000/– रुपए (अक्षरे दस हजार रुपए) का बंधपत्र व इसी राशि

का स्वयं का मुचलका इस आशय का पेश कर तस्दीक करा दे कि अभियुक्त उक्त अवधि के भीतर सदाचारी बना रहेगा, परिशांति बनाए रखेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा आहूत किए जाने पर उपसंजात होकर दंड भोगेगा तो अभियुक्त को परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावे। साथ ही अभियुक्त पर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत **5000/– (अक्षरे पांच हजार रूपए)** अभियोजन व्यय के अधिरोपित किया जाता है। साथ ही अभियुक्त इस आशय का शपथ पत्र पेश करे कि उनकी पूर्व में किसी प्रकरण में दोषसिद्धि नहीं रही है व न ही उनके द्वारा पूर्व में किसी प्रकरण में दोषसिद्धि बाबत परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्राप्त किया गया है।

अभियुक्त के न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। अभियुक्त को निर्देश दिए जाते हैं कि वे धारा 437ए दं.प्र.सं. के तहत 20 हजार रुपए की जमानत व इसी राशि का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत करे, जो 6 माह की अवधि तक प्रवृत्त रहेंगे।

प्रकरण में जप्तशुदा माल का बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस संबंध में संबंधित थानाधिकारी को तहरीर जारी हो।

(दीपेंद्र कुमार मीणा)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लाडनूं, डीडवाना–कुचामन

निर्णय आज दिनांक **16.07.2026** को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर व मुद्रांकन के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीपेंद्र कुमार मीणा)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लाडनूं, डीडवाना–कुचामन